कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, रामपुर।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 6221/ Admin 'G-I'/ 2019, Allahabad दिनांकित 14.05.2019 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 102/सात- न्याय- 2-2015-728/86 दिनांकित 18.06.2015 के अधीन परिवार न्यायालय, रामपुर में परामर्शदाता की आबद्धता के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं-

1. अर्ह व्यक्तियों से आवेदन-पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।
2. यह प्रयास किया जाएगा कि व्यक्ति उसी जिले से संबंधित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है।
3. शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जाएगा कि अर्ह व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउंसलिंग में जिन्हें 02 वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जाएगी।
4. विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
5. आवेदन-पत्र प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जाएगी और यथासंभव एक पद के सापेक्ष 05 लोगों की सूची तैयार की जाएगी।
6. राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर मामला उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से संबंधित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरांत उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
7. परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।
8. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारंभ में 03 वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
9. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और वे न्यायालय में संविदा के आधार पर संबद्ध रहेंगे।

उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत परामर्शदाता के आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र स्वप्रमाणित फोटो सहित दिनांक 31.05.2019 तक प्रशासनिक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

दिनांकः 20.05.2019

जनपद न्यायाधीश,
रामपुर।

प्रतिलिपि-

1. जनपद न्यायालय, रामपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रमुख समाचारपत्रों में।

नोट- इसकी प्रति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर भी डाली जाए।